न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–543/2020 (GCMS No. 2020/00567) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. गैंदालाल आयु करीब 61 वर्ष पुत्र श्री वीधाराम
2. कोमल सिंह आयु करीब 60 वर्ष पुत्र श्री नथोली
3. लज्जाराम आयु करीब 60 वर्ष पुत्र श्री सोनपाल
4. विशम्भर आयु करीब 70 वर्ष पुत्र श्री भगवन्त
5. सुन्दर सिंह आयु करीब 55 वर्ष पुत्र श्री रामजीलाल
6. सामन्ता आयु करीब 80 वर्ष पुत्र श्री नारायन
7. डालचन्द आयु करीब 70 वर्ष पुत्र श्री प्यारेलाल

समस्त जातिगण बघेल निवासीगण निधेंरा खुर्द तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर राज.

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

...........अपीलांट्स

बनाम

1. जिला कलक्टर धौलपुर राज0।
2. उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ।
3. तहसीलदार सैंपऊ।

...........रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर आदेश क्रमांक 12/3(24)/राजस्व/2020/47 दिनांक 11.07.2020

उपस्थितिः–

1. अपीलाट्स की ओर से श्री रामअवतार शर्मा, वकील

नि र्ण य **दिनांक : 28.05.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 11.07.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर धौलपुर ने तहसीलदार सैंपऊ एवं उपखण्ड

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अधिकारी सैंपऊ द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1400 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम (सिवायचक) में से 2 बीघा भूमि का आवंटन राजकीय माध्यमिक विद्यालय सखवारा व गॉव के सरपंच से साज कर अवैध रूप से रिपोर्ट प्राप्त कर आवंडन कर दिया। अपीलांट का 35–40 वर्ष से निरन्तर कब्जा है तथा नियमन की सिफारिश हो रही है। अपीलांट को बिना कोई सूचना दिये उसकी बैक पर आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की अपील पर बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि विवादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का लगभग 40 साल पूर्व से आज तक निरन्तर कब्जा है जिसके आधार पर अपीलांट अपने हक में नियमन कराकर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। रेस्पो. सं. 2 व 3 की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित की भूल की है। गॉव सखवारा के व्यक्ति जो अपीलांट से रंजिश रखते हैं से रेस्पो. संख्या 2 व 3 ने साजकर गलत रिपोर्ट व राजकीय माध्यमिक विद्यालय सखवारा के प्रधानाचार्य से मिलकर रिपोर्ट प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर आवंटन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त गलत प्रस्ताव के आधार पर बिना किसी जॉच पडताल के अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादग्रस्त आराजी से अपीलांट को विधिक प्रक्रिया से बेदखल नहीं किय गया तथा भूमि को खाली नहीं कराया गया और अपीलांटस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अध्ययन न कर अपने विवेक का उपयोग किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों व सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 11.07.2020 खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण के नाम मुताबिक कब्जा विनियमन की सिफारिश की जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1400 रकबा 10.16 में से रकबा 2.00 बीघा सिवायचक भूमि के आवंटन प्रस्ताव जिला कलक्टर धौलपुर को प्रेषित किये गये। उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2020 से राजकीय माध्यमिक विद्यालय सखवारा के खेल मैदान हेतु आवंटन कर दिया गया। उक्त भूमि जमाबंदी खतौनी संवत् 2071–2074 में मिल्कियत सरकार दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

20.05.2020 एवं तहसीलदार सैंपऊ की रिपोर्ट दिनांक 29.05.2020 के अनुसार उक्त भूमि पर सरसों बोकर अतिक्रमण किया जाना तथा उक्त अतिक्रमण से बेदखल कर अतिक्रमण मुक्त किया जाना तथा मौके पर खाली होने की रिपोर्ट प्रेषित की है। आवंटन के बाद पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त भूमि का कब्जा प्रधानाध्यापक को संभला दिया गया। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। राजकीय भूमि पर काश्त किया जाना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमी अपीलांट को कानूनन कोई अधिकार एवं हक प्राप्त नहीं होते है और ऐसी भूमि के संबंध में हुए आवंटन को निरस्त कराने का ऐसे अपीलांट/अतिक्रमी को कोई विधिक रूप से अधिकार नहीं है। इस प्रकार हम विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा दी गई दलीलें प्रकरणाभिन्न होने से पत्रावली पर चस्पा नहीं होती हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है और अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 11.07.2020 यथावत जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 28.05.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर